



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH.



निरमल यादव  
पुत्र - श्री झममन यादव  
ग्राम - सलेमपुर  
परगना - शादियाबाद  
जिला - गाजीपुर  
विसर्जन सिंह यादव  
05.09.2019



Z 407698  
निरमल यादव  
ग्राम सलेमपुर  
परगना - शादियाबाद  
जिला - गाजीपुर  
विसर्जन सिंह यादव  
05.09.2019

लीज डीड बमुददत 33 वर्ष

वार्षिक प्रतिफल अंकन 2800/- रुपये

स्टाम्प पत्र 8 किता कीमत अंकन 2000/- रुपये

फोटो स्वयं पक्षकारान द्वारा सत्यापित है।

प्रारूपकर्ता : विसर्जन सिंह यादव एडवोकेट जखनियों

हम कि निर्मल यादव पुत्र श्री झममन यादव निवासी ग्राम सलेमपुर परगना शादियाबाद

तहसील जखनियों जिला गाजीपुर प्रथम पक्ष (सम्पत्ति मालिक) व निर्मल मुलचानी

एजुकेशनल एण्ड वेल फेयर ट्रस्ट ग्राम सलेमपुर पोस्ट वाजिदपुर जिला गाजीपुर बजरिये

अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव पुत्र निर्मल यादव निवासी ग्राम सलेमपुर परगना शादियाबाद

निरमल यादव

सुरेन्द्र यादव





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



राम कवल सिंह यादव  
 पुत्र. दुधनाथ यादव  
 सा. मोलनापुर  
 परगना. शादियाबाद  
 जिला. गाजीपुर  
 विसर्जन सिंह यादव  
 05.09.2019



आनंद सिंह  
 पुत्र. मोलनापुर  
 परगना. निजामबाद  
 जिला. आजमगढ़  
 विसर्जन सिंह यादव  
 05.09.2019

Z 407699

तहसील जखनियौं जिला गाजीपुर - द्वितीय पक्ष (लीज गृहिता) है। जो कि हम पक्षगण बिना किसी जबर व दबाव के पूर्ण स्वस्थ मस्तिष्क से निम्न शर्तों पर पूर्ण पाबन्द होते हैं:-

1- यह कि एक भवन मय मैदान जिसका कुल क्षेत्रफल 8100 वर्ग मीटर है जो स्थित ग्राम नसीरपुर परगना शादियाबाद तहसील जखनियौं जिला गाजीपुर में है जो खसरा नम्बर 668 व 682 रकबा 0.8093 हे0 भूमि पर निर्मित है जो अकृषित भूमि घोषित है जिसके प्रथम पक्ष मालिक व काबिज है।

निर्मल यादव

सुरेन्द्र यादव





उत्तर प्रदेश UTIAR PRADESH

Z 407700

3

- 2- यह कि उक्त भवन मय मैदान के द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से 2800/- दो हजार आठ सौ रूपये सालाना की दर से लीज पर लिया है जिसे प्रथम पक्ष ने सहर्ष स्वीकार किया है
- 3- यह कि 33 वर्ष के लीज रेंट का प्रतिफल अंकन 92,400/- बान्ने हजार चार सौ रूपये द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को अदा करा दिये हैं

निर्मलदा देव

सुरेश पाख





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 659256

4

4- यह कि लीज की अवधि 33 वर्ष तैय पायी गयी है जो दिनांक 05.09.2019 से प्रारम्भ होकर दिनांक 04.09.2052 ई0 तक रहेगी ।

5- यह कि द्वितीय पक्ष इस भवन में केवल शैक्षणिक संस्था सम्बन्धित कार्य ही कर सकेगा भवन में अन्य कोई कार्य नहीं किया जायेगा ।

6- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भवन में कोई गैरकानूनी या भवन को क्षति पहुँचाने वाला कोई कार्य नहीं कर सकेगा

7- यह कि द्वितीय पक्ष कोई सिकमी या साझेदार नहीं रख सकेगा ।

केवल शैक्षणिक संस्था के अर्न्तगत ही कॉलित संचालित होगा

निर्मल यादव

सुरेश पांडव



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 659257

5

- 8- यह कि भवन सम्बन्धित जलकर, गृहकर अन्य कोई टैक्स आदि द्वितीय पक्ष उक्त अवधि तक अदा करेगा ।
- 9- यह कि विद्युत कनेक्शन द्वितीय पक्ष प्राप्त करेगा तथा विद्युत बिल अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी ।
- 10- यह कि समय अवधि उपरान्त द्वितीय पक्ष भवन को आज की स्थिति में खाली करके प्रथम पक्ष को सौंप देगा
- 11- यह कि द्वितीय पक्ष की किसी देनदारी से प्रथम पक्ष के भवन का कोई मतलब वास्ता नहीं होगा यदि द्वितीय पक्ष की किसी देनदारी व लेनदारी के लिए द्वितीय पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा ।

निर्मल यादव

सुरेश पाठ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 659258

6

12- यह कि उक्त लीज डीड का वार्षिक प्रतिफल अंकन 2800/- रुपये है व 33 वर्षों की लीज के लिए सालाना प्रतिफल के 6 गुने से अंकन 16,800/- मालियत होती है व 33 वर्षों का प्रतिफल अंकन 92,400/- रुपये होता है इस प्रकार कुल मालियत अंकन 1,09,200/- रुपये होती है स्टाम्प अंकन 1,00,000/- रुपये पर 2 प्रतिशत की दर से अंकन 2000/- रुपये का स्टाम्प देय है जो दरतावेज हाजा के साथ अदा किया गया है।

निर्मल यादव

शुभेन्द्र पांडे



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 659259

7

13- यह कि उक्त लीज डीड पक्षकारान द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर तैयार की गयी है जिसके समस्त तथ्यों की पूर्ण जिम्मेदारी पक्षकारान की है।

अतः यह लीज डीड बमुद्दत 33 वर्ष दोनों पक्षों ने अपनी पूर्ण खुशी व रजामन्दी से बिना किसी जबर व दबाव के लख दिया कि

निर्मल यादव

सुरेन्द्र यादव





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 659260

8

सनद रहे और समय पर काम आवे । तहरीर ता0 05.09.2019 ई0 प्रारूपकर्ता

विसर्जन सिंह यादव एडवोकेट जखनिया ।

विसर्जन सिंह यादव  
एडवोकेट जखनियाँ  
05.09-2019

साक्षी-रामकवल सिंह यादव पुत्र श्री दूधनाथ सिंह यादव

रामकवल सिंह यादव

निवासी ग्राम मोलनापुर तहसील जखनियाँ जिला गाजीपुर

साक्षी-आदित्य सिंह पुत्र श्री रमेश सिंह निवासी ग्राम जाफरपुर

आदित्य सिंह

तहसील मेहनगर जिला आजमगढ़

निर्मल यादव

सुरेन्द्र यादव